

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली

यह एडिटरियल 10/06/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "The Bareilly case and a flawed criminal justice system" लेख पर आधारित है। इसमें बरेली के एक हाल के मामले के माध्यम से भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर किया गया है और बेहतर पुलिस अन्वेषण प्रोटोकॉल, अभियोजन स्वायत्तता एवं न्यायिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्रलिस के लिये:

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली, फास्ट ट्रैक वशिष न्यायालय, भारतीय दंड संहिता (IPC), 'भारतीय न्याय संहिता', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता', सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 21, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पुलिस शकियत प्राधिकरण (PCAs), मलमिथ समिति (2003), न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति, माधव मेनन समिति (2007)।

मेन्स के लिये:

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के उपाय।

उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में एक मामला सामने आया जहाँ कथित रूप से बलात्कार का झूठा आरोप लगाने के लिये एक महिला को कारावास एवं जुरमाने का दंड दिया गया। यह मामला **भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली** (Criminal Justice System) में गंभीर प्रणालीगत कमियों को उजागर करता है।

व्यवस्थापन केंद्रों का मनमानीपूर्ण एवं सुदीर्घ नरिोध या हरिसत, अपर्याप्त पुलिस अन्वेषण और फास्ट-ट्रैक अदालतों का अकुशल कार्यकरण ऐसी प्रणालीगत अक्षमताओं को उजागर करता है जो न्यायिक प्रक्रियाओं में आम लोगों के भरोसे को कमजोर करता है। यह परदृष्टिभारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सरकार द्वारा हाल ही में **फास्ट ट्रैक वशिष न्यायालयों (FTSC)** के लिये केंद्र-प्रायोजित योजना को वर्ष 2026 तक की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया और इसके लिये महत्त्वपूर्ण बजट आवंटन किया गया। इस सकारात्मक कदम को पुलिस अन्वेषण प्रोटोकॉल, अभियोजन स्वायत्तता और न्यायिक पर्यवेक्षण में संवर्द्धि के साथ पूरक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये, ताकि गलत या अवैध बंदीकरण को रोका जा सके और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना

- **परिचय:** आपराधिक न्याय प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और पीड़ितों को न्याय प्रदान किया जाए।
 - यह प्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि आपराधिक गतिविधियों के आरोपियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा उन्हें उनके उचित अधिकार प्रदान किये जाएँ।
 - भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली **भारतीय दंड संहिता (IPC)** और **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)** पर आधारित है, जिन्हें शीघ्र ही क्रमशः '**भारतीय न्याय संहिता**' और '**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**' से प्रतिस्थापित किया जाना है।
- **मुख्य स्तंभ:**
 - **पुलिस:** पुलिस अपराधों की जाँच करने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और कानून प्रवर्तित करने के लिये ज़िम्मेदार है। वह राज्य वशिष के नियंत्रण में कार्य करती है।
 - **न्यायपालिका:** कानून की व्याख्या करने के माध्यम से उसकी पुष्टि करती है और आपराधिक मामलों में नरिणय देती है।
 - संघीय स्तर पर **सर्वोच्च न्यायालय** और प्रत्येक राज्य में **उच्च न्यायालय** शीर्ष स्तर पर कार्यरत हैं, जबकि निचली अदालतें वभिन्न मुकदमों का कार्यभार संभालती हैं।
 - **सुधार प्रणाली:** जेलों का प्रबंधन करती है; दंड पर और आदर्शतः **अपराधियों के पुनर्वास** पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **प्रमुख सिद्धांत:**
 - **नरिदोषता की धारणा:** किसी अभियुक्त को तब तक नरिदोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी सिद्ध न कर दिया जाए।
 - **नषिपक्ष सुनवाई का अधिकार:** अभियुक्त को नषिपक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, जिसमें स्वयं का बचाव करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार भी शामिल हैं।

- **सम्यक प्रक्रिया:** नषिपक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिये कानूनी प्रक्रियाओं का सही या सम्यक ढंग से पालन किया जाना चाहिये।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **लंबित मामले और न्याय में देरी:** लंबित मामलों की विशाल संख्या (जो जुलाई 2023 तक 5.02 करोड़ से अधिक थी) न्यायिक गतिरोध पैदा करती है, जो प्रणाली को अपंग बना देती है।
 - प्रत्येक विलंबित मामला समय पर न्याय प्रदान कर सकने की प्रणाली की वफ़िलता को दर्शाता है।
 - इस संदर्भ में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री **विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन** (William Edward Gladstone) की यह उक्ति प्रसिद्ध है- “विलंबित न्याय, न्याय से वंचना के समान है” (Justice delayed is Justice Denied)।
 - बरेली के हालिया मामले में ‘**फास्ट-ट्रैक**’ अदालत ने नरिणय देने में **1,559 दिन** लिये, जो एक वर्ष की समय-सीमा से लगभग चार गुना अधिक समय है।
 - इस तरह की देरी शीघ्र सुनवाई के अधिकार (right to speedy trial)—जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने **एन.एस. साहनी** बनाम भारत संघ मामले में **अनुच्छेद 21** के तहत मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है—का उल्लंघन है।
- **अपर्याप्त संसाधन और अवसरचना:** भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं (दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार)।
 - यह कमी महज एक संख्या को इंगति नहीं करती, बल्कि इसका तात्पर्य है **न्यायाधीशों पर अत्यधिक काम का बोझ**, जल्दबाजी में की जाने वाली सुनवाई और समझौतापूर्ण नरिणय।
 - अधीनस्थ न्यायपालिका में **35%** और **उच्च न्यायालयों में लगभग 400 पद रिक्त** बने हुए हैं (मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार)।
 - अपर्याप्त कर्मचारी बल और सुविधाओं के कारण **गुणवत्ताहीन जाँच, कमज़ोर अभियोजन तथा न्यायिक देरी की स्थिति** बिनती है।
- **पुलिस बल का राजनीतिकरण: प्रकाश सहि बनाम भारत संघ (2006) मामले** में न्यायालय द्वारा अनवेषण कार्य को वधि एवं व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों से अलग करने का आदेश दिया गया था, **लेकिन ऐसा साकार नहीं हुआ**।
 - वर्ष 2021 में लखीमपुर खीरी हिसा मामले में (जहाँ एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र को आरोपी बनाया गया था) प्रारंभिक जाँच में देरी और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगे।
 - यह राजनीतिकरण नषिपक्ष जाँच को कमज़ोर करता है, विशेषकर उन मामलों में जिनमें प्रभावशाली व्यक्तित्व संलग्न हों।
 - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** ने भी पाया था पुलिस-जनता संबंध असंतोषजनक स्थिति में हैं, क्योंकि लोग पुलिस को **भ्रष्ट, अकुशल, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और अनुत्तरदायी** मानते हैं।
- **जमानत अपवाद के रूप में, नयिम के रूप में नहीं:** बालचंद्र उर्फ बलिया केंस बनाम राजस्थान राज्य (1978) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत को नयिम और जेल को अपवाद बनाने के नरिदेश के बावजूद, वास्तविक स्थिति ठीक इसके उलट है।
 - **भारत की जेलों में बंद 75% से अधिक कैदी वचिराधीन** हैं। जेल 130% अधभोग (occupancy) स्तर पर संचालित हैं।
 - इसके अलावा, UAPA या गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधनयिम जैसे कुछ कानूनों के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार आरोपी पर डाल दिया जाता है, जिससे जमानत का मुद्दा और जटिल हो जाता है।
- **यौन हिसा के मामलों में लैंगिक पूर्वाग्रह: अपरणा भट बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों द्वारा **लैंगिक रूढ़िवादिता** (gender stereotypes) और **पीड़िता को दोष देने वाली भाषा के प्रयोग की नदि** की थी।
 - इसके बाद भी, एक बलात्कार पीड़िता के रात्रिकालीन कार्य के बारे में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टपिणी से उजागर हुआ कि लैंगिक पूर्वाग्रह लगातार व्याप्त है, जो यौन हिसा के मामलों में न्याय को कमज़ोर करता है।
- **पुराना पड़ चुका जेल मैनुअल और मानसिक स्वास्थ्य संकट:** मॉडल जेल मैनुअल 2016 में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अनविर्य बनाया गया है।
 - **1382 जेलों में अमानवीय स्थिति (पुनः) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों में व्याप्त मानसिक बीमारी की उच्च दर पर ध्यान दिया, जो कि अत्यधिक भीड़भाड़ तथा देखभाल के अभाव के कारण और भी बढ़ गई थी।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 तक महाराष्ट्र राज्य में 42,577 कैदी थे, लेकिन उनकी देखभाल के लिये केवल एक **मनोचिकित्सक और दो मनोवैज्ञानिक** ही मौजूद थे।
- **पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गैर-कार्यान्वयन: प्रकाश सहि (2006) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस के वरिद्ध आम लोगों की शिकायतों के समाधान हेतु **पुलिस शिकायत प्राधिकरणों (PCAs)** की स्थापना का नरिदेश दिया।
 - हालाँकि, अधिकांश राज्यों ने या तो **PCAs की स्थापना नहीं की** है या उन्हें शक्तिहीन बना रखा है, जिससे पुलिस दंडमुक्ति (police impunity) की स्थिति बनी हुई है।
- **मानवाधिकार उल्लंघन:** भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रायः **हरिसत में यातना, न्यायेतर हत्या (extrajudicial killings), झूठी गरिफ्तारियाँ और अवैध नरिोध** के आरोप लगते रहे हैं।
 - वर्ष 2021-2022 के दौरान पुलिस हरिसत में **मौत के 175 मामले सामने आए**।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिये कौन-से उपाय किये जाने चाहिये?

- **पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रणाली:** अपराधी-केंद्रित प्रणाली से पीड़ित-केंद्रित प्रणाली की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
 - पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान समरपति पीड़ित सहायता सेवाएँ प्रदान की जाएँ, जिसमें न्यायालय में सुनवाई के गारंटीकृत अधिकार के साथ परामर्श, कानूनी सहायता मार्गदर्शन तथा **पीड़ित प्रभाव बयान** (victim impact statements) प्रदान करना शामिल है।
 - इससे पीड़ितों को सशक्तता प्राप्त होगी और उनमें अपने कृत्यों एवं उसके परिणामों के बारे में नयित्रण की भावना पुनः जागृत होगी।
- **केस प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग:** केस प्रबंधन, समय नरिधारण और पूर्व-परीक्षण **जोखिम मूल्यांकन** जैसे कार्यों के लिये AI के उपयोग की राह तलाश की जाए।
 - इससे प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित हो सकेंगी, डायवर्सन कार्यक्रमों के लिये नमिन-जोखिम मामलों की पहचान हो सकेगी तथा मानव संसाधन को

अधिक जटिल मामलों के लिये मुक्त किया जा सकेगा।

- इसके अलावा, प्रणाली में वदियमान असमानताओं को रोकने के लिये **पूर्वाग्रह एवं एल्गोरिथम संबंधी पारदर्शिता के वरिद्ध** मज़बूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

- **प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण के साथ कानूनी सहायता:** कानूनी सहायता के लिये वित्तपोषण बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रदाताओं के लिये **प्रदर्शन-आधारित प्रणाली स्थापित करना**।
 - इससे प्रभावी प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन मलिंगा है और यह सुनिश्चित होगा कि वंचित पृष्ठभूमि के प्रतिवादियों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्राप्त हो।
- **जमानत सुधार और वचाराधीन हरिसत में कमी लाना:** **भारतीय वधिआयोग की 268वीं रिपोर्ट (2017)** में हरिसत की अवधि को कम करने के लिये तत्काल उपाय किये जाने का आह्वान किया गया और यह नषिकर्ष दिया गया कि **इसे रोकने के लिये जमानत से संबंधित कानून पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए**।
- **व्यापक पीड़ित एवं साक्षी संरक्षा: मलमिथ समिति (2003)** की अनुशंसा के अनुरूप, पर्याप्त वित्तपोषण एवं नगिरानी के साथ **साक्षी संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme), 2018** को पूर्णतया लागू करने की आवश्यकता है।
- **न्यायपालिका में लैंगिक संवेदनशीलता को अपनाना:** सभी न्यायिक अधिकारियों के लिये **अनविार्य लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण**, न्यायिक शिक्षा में लैंगिक दृष्टिकोण का एकीकरण और लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण टिप्पणियों के लिये न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराने की व्यवस्था कायम की जानी चाहिए।
 - **लैंगिक संबंधी रूढ़िवादिता पर हाल ही में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट हैडबुक** इस दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **कारागार प्रशासन में सुधार:** **न्यायमूर्त अमिताव रॉय समिति** की अनुशंसा के अनुरूप, **जेलों के भीतर वचाराधीन कैदियों**, दोषसिद्धों और पहली बार अपराध करने वाले व्यक्तियों (first-time offenders) को अनविार्य रूप से पृथक रखने की आवश्यकता है, जिसमें अदालत में पेशी और अस्पताल में जाँच के दौरान भी पृथक रखना शामिल है।
 - समिति ने जोर दिया है कि कारागार प्रशासन को **आयुष्मान भारत योजना** जैसी राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का व्यापक रूप से क्रियान्वयन करना चाहिए।
- **फास्ट-ट्रैक न्यायालयों का पुनरुद्धार:** समरपति न्यायाधीशों द्वारा फास्ट-ट्रैक न्यायालयों का पुनरुद्धार करने और फास्ट-ट्रैक न्यायालयों के लिये बेहतर अवसरचना की आवश्यकता है, जहाँ **बाध्यकारी समयसीमा निर्धारण और मामलों की नगिरानी एवं शीघ्र नपिटान के लिये केस प्रबंधन प्रणाली** शुरू की जाए।
- **राजनीति के अपराधीकरण से नपिटना:** **वोहरा समिति (1993)** के नषिकर्षों के अनुरूप, राजनीति के अपराधीकरण से नपिटने के लिये एक समरपति संस्था के गठन की आवश्यकता है।
 - इस संस्था को वभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी एकत्र करने, राजनेताओं, नौकरशाहों, अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के बीच गठजोड़ की जाँच करने और संलग्न व्यक्तियों के वरिद्ध नरिणायक कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
 - ऐसी संस्था राजनीतिक प्रणाली को आपराधिक प्रभावों से मुक्त करने तथा जनता का विश्वास पुनर्बहाल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिएगी।
- **पुनरस्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देना:** **माधव मेनन समिति (2007)** के सुझाव के अनुरूप पुनरस्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
 - यह दृष्टिकोण केवल दंड देने के बजाय अपराध से होने वाली क्षतिके उपचार (healing the harm) पर केंद्रित है।

अभ्यास प्रश्न: भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष वदियमान सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये और इन मुद्दों के समाधान के लिये आवश्यक व्यापक सुधारों के सुझाव दीजिये।